हरबंस सिंह, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष

हरि सिंह - याचिकाकर्ता

बनाम

मोहर सिंह- प्रतिवादी

1970 का सिविल संशोधन संख्या 1177

14 मई, 1971

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम सं.5)- धारा 145 - धारा 145 के तहत कार्यवाही - विवाद में भूमि के कब्जे में रुचि रखने वाले व्यक्ति, जिनके पास कार्यवाही की सूचना है, लेकिन वे पक्षकार नहीं हैं - चाहे कार्यवाही के परिणाम से बंधे हों - प्रतिवादी को ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सपुरदार के रूप में कब्जे में रखा गया -

मजिस्ट्रेट आवेदक को आवेदन की तारीख पर या दो महीने के भीतर भूमि के कब्जे में पाता है। इसकी अवधि - ऐसा मजिस्ट्रेट - क्या आवेदक को कब्जा देने का आदेश दे सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत पारित आदेश का बाध्यकारी चरित्र, सभी परिस्थितियों में उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं है जिन्हें वास्तव में कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया था। ऐसे व्यक्ति जो विवाद में भूमि के कब्जे में रुचि रखते हैं और कार्यवाही की सूचना रखते हैं, भले ही वे पक्षकार नहीं थे, आदेश से बाध्य होंगे। (पैरा 5)

अभिनिर्धारित किया कि जहां संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी को सपुरदार के रूप में कब्जे में रखा जाता है और उसके बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक का उस पर कब्जा था। आवेदन की तारीख या उसके दो महीने के

भीतर, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली एकमात्र उचित प्रक्रिया आवेदक को कब्जे में रखना है और जब वह वास्तव में अधिकृत है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश को अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं कहा जा सकता है। (पैरा 7)

1919 के अधिनियम IX की धारा 44 और सिविल प्रक्रिया संहिता अनुभाग 115 के तहत श्री गोरख नाथ, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी के 14 जुलाई, 1970 के आदेश के संशोधन के लिए याचिका दायर की गई है, जिसमें 40 कनाल भूमि के कब्जे के लिए वादी के मुकदमे का फैसला किया गया था। नहीं। यह भी कहा गया है यह भी कहा गया है आयताकार नंबर 96, किला नंबर 3(8-0), 4(8-0), 5(8-0), 6(8-0), और 7(8-0) गांव खोल में सह-मालिक के रूप में स्थित हैं और उन्होंने खरीफ 1968 में इसमें फसल बोई थी।

एन.एल. ढींगरा, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

दलीप सिंह, वकील, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय।

हरबंस सिंह, मुख्य न्यायमूर्ति -(1) विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ इस पुनरीक्षण याचिका को जन्म देने वाले तथ्य, जिसमें हरि सिंह के खिलाफ मोहर सिंह को कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया गया था, जिसने एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत कब्जा प्राप्त किया था, जो धारा 145 के तहत कार्यवाही कर रहा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता ने उन्हें विवादित समय पर कब्जे में माना था, कुछ विस्तार से कहा जा सकता है। 8 जुलाई, 1966 को, हरि सिंह ने जगमाल सिंह और अन्य के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत एक आवेदन लाया, लेकिन मोहर सिंह को शामिल नहीं किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें विवाद में जमीन से बेदखल कर दिया गया था, जिसमें स्क्वायर नंबर 96, किला नंबर 3 से 7 शामिल था।

माना जा रहा है कि यह जमीन पंचायत की थी। दोनों ही पार्टियों ने दावा किया कि संबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित समय के भीतर उनके पास उस पर कब्जा था। 15 जुलाई, 1966 को भूमि को कुर्क कर लिया गया और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए प्रतिलिपि प्रदर्शनी डी. 5 गया। 2 अगस्त, 1966 को भोला सिंह नाम के एक व्यक्ति को खड़ी फसलों का सपुरदार बनाया गया।

(2) 13 सितम्बर, 1966 को जग सिंह ने एक आवेदन दिया कि 4 मई, 1966 को उन्होंने ग्राम पंचायत से 740 रुपये में पट्टा प्राप्त किया था कि मोहर सिंह उनके सह-पट्टेदार हैं और उन दोनों ने हजारों रुपये मूल्य के बाजरे की फसल उगाई है। इस आवेदन की एक प्रति रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 20 सितंबर, 1966 का आदेश (प्रति प्रदर्शनी डी 6); निर्देश दिया कि 2000 रुपये; दूसरी पार्टी द्वारा जमा किए जा सकते हैं;

अर्थात्, जगमल सिंह, आदि, और फिर उन्हें बाजरे की खड़ी फसल का सपुरदार बनाया जाता है। यह राशि जमा की गई थी और दूसरा पक्ष; i.e. जगमल सिंह आदि को खड़ी फसल के संबंध में सपुरदार बनाया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उस तारीख के बाद से दूसरे पक्ष के पास भूमि का कब्जा अपने अधिकार पर नहीं था, बल्कि केवल एक सपुरदार के रूप में था।।

(3) 15 नवम्बर, 1966 को कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने माना कि यह हरि सिंह अर्थात् प्रथम पक्ष था, जो भूमि के कब्जे का हकदार था। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जगमाल सिंह आदि द्वारा जमा किए गए 2,000 रुपये उन्हें दिए जाएं। आदेश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। हालांकि, उन्होंने अंततः 25 मार्च, 1968 को संशोधन को खारिज कर दिया (कॉपी

एक्ज़िबिट डी 10)। उच्च न्यायालय में लिया गया एक और संशोधन 15 मई, 1968 को लिमिन में खारिज कर दिया गया था । इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि हरि सिंह ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक आवेदन दिया कि कब्जा उन्हें बहाल किया जा सकता है। इस मामले में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई, 1968 का है(प्रति प्रदर्शनी डी. 71)। इस आदेश के निष्पादन में कब्जा वास्तव में 12 अगस्त, 1968 को दिया गया था।

(4) 28 नवंबर, 1968 को दायर किया गया मुकदमा, जिसमें संशोधन किया गया है, इस आधार पर कब्जे की बहाली का दावा करता है कि वादी मोहर सिंह को कानून की उचित प्रक्रिया के तहत बेदखल नहीं किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद कहा कि मोहर सिंह, जो 12 अगस्त, 1968 को विवाद में भूमि के कब्जे में था, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही में एक पक्ष

नहीं था, और इसलिए, वह उसमें पारित आदेश से बाध्य नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट के 15 नवंबर, 1966 के अंतिम आदेश में केवल यह घोषणा की गई थी कि हरि सिंह संबंधित तारीख पर भूमि के कब्जे में था और मजिस्ट्रेट कब्जे का वारंट जारी कर सकता था यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि हरि सिंह को आवेदन दायर करने के दो महीने के भीतर बेदखल कर दिया गया था। यह निष्कर्ष नहीं होने के कारण, कब्जे के वारंट जारी करने और मोहर सिंह से कब्जा दिलाने में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर थी।

(5) निचली अदालत के आदेश से व्यथित होकर इस संशोधन को लाने वाले हरि सिंह के वकील द्वारा पहला बिंदु यह था कि हालांकि मोहर सिंह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही में एक पक्ष

के रूप में शामिल नहीं किया गया था, फिर भी वह आदेश उसके लिए बाध्यकारी होगा। क्योंकि वह न केवल कार्यवाही के लंबित होने के बारे में पूरी तरह से जानते थे, बल्कि उन्होंने एक हलफनामा दायर करके उसमें सक्रिय भाग लिया, जिसमें उन्होंने जगमाल सिंह के मामले का समर्थन किया और वास्तव में, कहा कि वह जगमाल सिंह के साथ, विवाद में भूमि के कब्जे में संयुक्त पट्टेदार थे। जैसा कि मैंने पहले ही ऊपर देखा है, जगमाल सिंह द्वारा 13 सितंबर, 1966 के अपने आवेदन में लिया गया रुख स्पष्ट रूप से वही था, हालांकि सटीक शब्दों का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड पर उस आवेदन की कोई प्रति नहीं है। जो भी हो, जहां तक मोहर सिंह का संबंध है, उन्होंने अपने हलफनामे, प्रदर्शनी पी. 1 में जो निश्चित स्थिति अपनाई थी, वह यह थी कि वह जगमाल सिंह के साथ संयुक्त पट्टेदार

थे और पंचायत से पट्टेदार के रूप में भूमि के कब्जे में थे। इस प्रकार, जब जगमाल सिंह हरि सिंह द्वारा दायर आवेदन में मुख्य प्रतियोगी थे और मोहर सिंह एक संयुक्त पट्टेदार थे, तो कार्यवाही के दौरान मोहर सिंह के हितों का विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया था और जगमाल सिंह ने ऐसे हितों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व किया था। इसलिए, जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही का संबंध है, कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और वह जगमाल सिंह के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से बाध्य होंगे। इस संबंध में एमएसटी को संदर्भ दिया जा सकता है। अलारखी बीबी और अन्य[1] सुश्री जुजला बीबी और अन्य[2] , जहां हेडनोट (सी) में, यह कहा गया है कि सभी व्यक्ति, जो विवाद में भूमि

[2] ए.आई.आर. 1966 उड़ीसा 49.

के कब्जे में रुचि रखते हैं और कार्यवाही की सूचना रखते हैं, भले ही वे पक्षकार नहीं थे, आदेश से बाध्य होंगे। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सत्य चरण डे और एक अन्य[3] मामले में एक खंडपीठ का निर्णय दिया है । सम्राट, (2), हेडनोट (ए) जिसका शीर्षक (ए) निम्नानुसार है: –

"धारा 145 के तहत पारित आदेश का बाध्यकारी चरित्र सभी परिस्थितियों में उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, जिन्हें कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पार्टियों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर भी इसका विस्तार हो सकता है।

(6) वर्तमान मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मोहर सिंह को उस कार्यवाही से बाध्य किया जाना चाहिए

[3] ए.आई.आर. 1930 कैल.

जिसमें जगमाल सिंह को विशेष रूप से आरोपी बनाया गया था और जिसमें मोहर सिंह ने खुद जगमाल सिंह के साथ एक संयुक्त पट्टेदार होने का दावा करते हुए एक हलफनामा दिया था।

(7) जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास अन्य बातों के अलावा हरि सिंह को कब्जा दिए जाने का निदेश देने का अधिकार क्षेत्र था, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि भूमि संलग्न की गई थी, इसलिए भूमि का कब्जा न्यायालय का था। यहां तक कि अगर हरि सिंह, जैसा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पाया गया था, कब्जे में था, तो भी कुर्की के आदेश के बाद वह कब्जे में नहीं रहा। इसके बाद, 20 सितंबर, 1966 के न्यायालय के आदेशों के तहत, कब्जा वास्तव में जगमाल सिंह आदि को दिया गया था, और इसे जगमाल सिंह के साथ उनके संयुक्त पट्टेदार मोहर सिंह को सपुरदार के रूप में लिया जाना

चाहिए। इसलिए वास्तविक कब्जा उनके पास रहा, लेकिन केवल सपुरदारों के रूप में। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवेदन की तारीख को हरि सिंह का कब्जा था या उसके दो महीने बाद, जैसा कि पाया गया है, तो कब्जा हरि सिंह को दिया जाना था, भले ही कब्जे में व्यक्ति सपुरदार थे और कब्जा वास्तव में मोहर सिंह के पास पाया गया था। इसलिए, इस पर कोई सांसारिक आपत्ति नहीं हो सकती है। वस्तुत यह एकमात्र उचित प्रक्रिया थी जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाया जाना था कि उनके आदेश के अनुसरण में, जिसकी पुष्टि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई थी, उन्हें उस व्यक्ति को कब्जा बहाल करना चाहिए जिसे न्यायालय ने आवेदन की तारीख पर कब्जे में पाया था। मोहर सिंह और जगमाल सिंह केवल अदालत के आदेशों के तहत कब्जे में होने के

कारण, कब्जा देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। यदि उन्हें किसी मालिकाना हक के आधार पर संपत्ति के कब्जे का कोई अधिकार मिला है या यदि पंचायत को उस पर कब्जा करने का कोई अधिकार है, तो वे उचित कार्यवाही कर सकते हैं,

(8) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं, नीचे दिए गए न्यायालय के आदेश को रद्द करता हूं और मोहर सिंह द्वारा दायर आवेदन को खारिज करता हूं, जिसमें लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय

का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
पानीपत,
हरियाणा